मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय

कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, ई–मेल : osdjcbpl@yahoo.co.in

क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2009 / 1636 दिनांक – 10.08.2009

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / संचालक,

(समस्त संस्थायें)

....

....

विषय :– गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में अनिवासी भारतीय अभ्यार्थियों (एन.आर.आई.) के प्रवेश के संबंध में ।

***

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर खण्डपीठ के द्वारा प्रकरण क्रमांक WP-5852/2009 में दिनांक 07 / 08 / 2009 को पारित निर्णय के अनुसार प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में अनिवासी भारतीय अभ्यार्थियों (एन.आर.आई.) में प्रवेशित छात्रों के पात्रता के संबंध में छानबीन करने हेतु अधिकृत किया गया है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2009 में निहित नियमों एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ के द्वारा प्रकरण क्रमांक WP-5852/2009 में पारित निर्णय के अनुसार आप अपनी संस्था में कुल सीटों के 15 प्रतिशत कोटे पर अनिवासी भारतीय अभ्यार्थियों (एन.आर.आई.) के प्रवेश की कार्यवाही करें । अनिवासी भारतीय अभ्यार्थियों (एन.आर.आई.) में प्रवेश हेतु उपरोक्त राजपत्र की कंडिका के बिन्दु क्रमांक 5(5) (a), (c) & (d) में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की गई है । **"We make it clear that whether the concerned person is non-resident Indian or not will be verified from the passport of the non-resident Indian or the true certified copy of the passport of the non-resident Indian as certified by the Collector or any officer In-charge as Collector of the concerned district must show that the concerned person is a non-resident Indian"** इसी आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर प्रवेशित छात्रों की सूची निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के 10 दिन पूर्व इस सचिवालय में प्रेषित करें ।

(1) अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची (बोर्ड / विश्वविद्यालय जिससे अभ्यार्थी ने अपनी अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है)।

(2) राष्ट्रीयता का सबूत।

(3) अनिवासी भारतीय का पासपोर्ट अथवा पासपोर्ट की सत्यापित छायाप्रति।

(4) अनिवासी भारतीय से चाहे गये शपथ–पत्र /प्रायोजन प्रमाण–पत्र की प्रति (संलग्न प्रारूप के अनुसार) इनमें से जो भी लागू हो। (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 जुलाई–2009 की विनियम की कंडिका 3 में वर्णित अनुसार अनिवासी भारतीयों के लिये आरक्षित 15 प्रतिशत स्थानों के विरूद्ध प्रवेश लेने वाले छात्रों पर लागू की गयी शर्तों के अधीन होगी)।

मध्यप्रदेश राजपत्र, भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2009 में निहित विनियम की कंडिका (8) **''यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय के विरूद्ध प्रवेशित किसी अभ्यार्थी का प्रवेश अपात्रता के कारण रद्द किया जाता है, तब उपरोक्त रद्दकरण के कारण हुई रिक्ति न तो सामान्य पूल में संविलियन होगी न ही संस्था इन नियमों के विरूद्ध नये अभ्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञात करेगी''** के अनुसार प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति कार्यवाही करेगी । अतः प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति यह अपेक्षा करती है कि उक्त कंडिका को ध्यान में रखते हुये एन.आर.आई. कोटे में प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे, अन्यथा प्रवेश रद्द होने की स्थिति में स्थान रिक्त रहने की आशंका है ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

Sd/-
(डॉ.सुनील कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी